प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।

सूचना का अधिकार अपील संख्या 04/2025

अपीलार्थी	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
श्री मोहन गोदारा पुत्र गुमानाराम, निवासी– मकान नं0– 77, महादेव नगर, पाल रोड, स्पाईसी किचन के पास, जोधपुर		लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त) कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

प्रथम सूचना अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपस्थितिः–

1. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से सहायक लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 26 नवम्बर 2025

अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के द्वारा कार्यालय हाजा के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 12.10.2025 को प्रस्तुत आवेदन के अनुसार कार्यालय हाजा के पत्रांक राजस्व जॉच/बाडमेर/2022/148 दिनांक 25.01.2022 और अन्य पत्र संख्या राजस्व जॉच/बाडमेर/2022/1246 दिनांक 3.8.2022 के द्वारा संदर्भित जॉच के निपटान के लिये कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा किये गये विस्तृत दस्तावेज, फाईल नोटिंग और सम्बन्धित आदेश की सूचना प्रदान करें जिसमें तहसीलदार, कल्याणपुर के पत्र संख्या 2022/339 दिनांक 7.2.2022 की रिपोर्ट और उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के पत्र क्रमांक राजस्व/2022/318 दिनांक 15.2.2022 की रिपोर्ट और उनके परिवार श्री दीपाराम के पत्र दिनांक 3.4.202225 द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

अपीलान्ट के आवेदन के अनुसार उपरोक्त वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के आधार पर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 28.10.2025 को यह प्रथम सूचना अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की उक्त प्रथम सूचना अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा से अपील पर टिप्पणी प्राप्त की गई एवं संधारित पत्रावली तलब की गई तथा अपील के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु दिनांक 17.11.2025 नियत की जाकर अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सूचना का अधिकार अपील संख्या 04/2025 मोहन गोदारा बनाम अति.संभागीय आयुक्त

सुनवाई हेतु निर्धारित की गई तिथी दिनांक 17.11.2025 को अपीलान्ट स्वयं एवं लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा की ओर से सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री गंगाराम डांगी उपस्थित हुए।

अपीलान्ट की अपील पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक एडीसी/सू0अ0/प्र.अ. 25/126 दिनांक 17.11.2025 द्वारा मूल पत्रावली व टिप्पणी कार्यालय हाजा को प्रेषित की गई।

दौराने सुनवाई अपीलान्ट ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कार्यालय से चाही गई उपरोक्ता सूचना में उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा एवं तहसीलदार, कल्याणपुर की रिपोर्ट, जिसमें ख0सं0 856/1 और 868/1 के बीच तरमीम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश, राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर के दर्ज किया गया क्षेत्र जमाबन्दी और कब्जे वाले क्षेत्र से अलग है। लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र कमांक 119 दिनांक 30.10.2025 के द्वारा उक्त रिपोर्टस् पर की गई कार्यवाही के बारे में अपेक्षित जानकारी प्रदान नहीं की है बल्कि गैर अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करवाई गई है जो अपीलान्ट के पास पहले से है। इसके अतिरिक्त सीआईसी के आदेशों के तहत प्रावधान के बावजूद कुल नाममात्र लागत (3 पृष्ठ) और पहले से भुगतान किये गये 10 रूपये के आवेदन शुल्क में उचित रूप से कवर किया जा सकता है, इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

अपीलान्ट के द्वारा दौराने सुनवाई यह भी कथन किया गया कि उक्त जॉच में अवैध तरमीम की जाली माप को दिखाया गया है। उक्त दोनों जॉच रिपोर्ट सम्भागीय आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करते हुए उक्त जॉच रिपोर्टस् पर सम्भागीय आयुक्त कार्यालय के द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अपेक्षित जानकारी/सूचना प्रदान करने के लिये लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित करें या स्वयं ऐसा करें।

प्रत्युतर में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अपील पर प्रेषित कार्यालय टिप्पणी के अनुसार यह निवेदन किया गया है किः—

1. आवेदन में आवेदक के द्वारा वर्णित पत्रांक 148 दिनांक 25.1.2022, इस कार्यालय की राजस्व शाखा द्वारा जिला कलेक्टर, बाडमेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रति आवेदक को भी उपलब्ध करवाई गई।
2. आवेदन में आवेदक के द्वारा वर्णित पत्रांक 1246 दिनांक 3.8.2022 द्वारा इस कार्यालय की राजस्व शाखा द्वारा जिला कलेक्टर, बाडमेर से जॉच कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट चाही गई थी, जो राजस्व शाखा को प्राप्त नहीं होना बताया गया है, जिसकी प्रति आवेदक को भी उपलब्ध करवाई गई।
3. आवेदन में प्रार्थी श्री दीपाराम के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 3.4.2025 के संलग्न प्राप्त समस्त दस्तावेजात इस कार्यालय की राजस्व शाखा के पत्रांक 838 दिनांक 8.4.2025 द्वारा जिला कलेक्टर, बालोतरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवेदक को भी उपलब्ध करवाई गई।
4. आवेदक के द्वारा तहसीलदार, कल्याणपुर के पत्रांक 2022/339 दिनांक 7.2.2025 और उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के पत्रांक 2022/318 दिनांक 15.2.2022 की रिपोर्ट इस

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कार्यालय में उपलब्ध होने का तथ्य अंकित किया गया है। उक्त रिपोर्टस् इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से सूचना के अधिकार के अन्तर्गत दिया जाना सम्भव नहीं है।

अतः निवेदन है कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही इस कार्यालय के द्वारा की जा चुकी है तथा इस सम्बन्ध में आवेदक को डाक एवं ऑन लाईन के माध्यम से जरिये पत्र क्रमांक एडीसी/सू0अ0/81–ए/2025/119 दिनांक 30.10.2025 के द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध करवाकर सूचित भी कर दिया गया है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का बगौर अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया है कि आवेदक/प्रार्थी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत इस कार्यालय को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2025 में अंकित किये गये आवेदन पत्रों तथा उनके सम्बन्ध में कार्यालय हाजा की राजस्व शाखा के द्वारा की गई कार्यवाही बाबत उपलब्ध पत्रों की सूचना लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा के द्वारा अपीलान्ट/आवेदक को जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्रांक 199 दिनांक 30.10.2025 के द्वारा वांछित सूचना भिजवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 126 दिनांक 17.10.2025 के बिन्दू संख्या 4 के द्वारा कार्यालय हाजा को अवगत कराया गया है कि उक्त के अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा चाही जा रही सूचना लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना तथा उक्त रिपोर्टस् कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दिया जाना सम्भव नहीं होना बताया है। ऐसे में प्रार्थी/आवेदक के आवेदन के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा के द्वारा जो कार्यवाही निष्पादित की गई है, वह नियमानुसार की गई है।

अपीलान्ट के द्वारा इस सूचना अपील के जरिये उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के वर्णित पत्र क्रमांक 318 दिनांक 15.2.2022 तथा तहसीलदार, कल्याणपुर के पत्र क्रमांक 339 दिनांक 7.2.2022 की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी प्रदान करवाये जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है, जो कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत इस अपील में अपीलीय अधिकारी के द्वारा अन्य किसी प्रकार के निर्देश दिया जाना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अपीलीय अधिकारी अपने कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के द्वारा कार्यालय हाजा में उपलब्ध दस्तावेजों की सूचना चाही जाने पर वांछित दस्तावेजों की प्रतियॉ/सूचना उपलब्ध करवाये जाने/नहीं करवाये जाने की निष्पादित की गई प्रक्रिया को विधि के अनुसार परीक्षण कर ही अपील पर निर्णय पारित कर सकते है। इस प्रकार अपीलान्ट की यह अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की जावें। निर्णय आज दिनांक 25 नवम्बर, 2025 को सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर